प्रकरण संख्या 06/2019 RCMS ID-2019/00146 तारीख रजु–14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री परभाती लाल जाति जोगी निवासी मूंडिया थाना बालघाट जिला करौली राज. – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–27.11.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री परभाती लाल जाति जोगी निवासी मूंडिया थाना बालघाट जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 जिसके द्वारा श्री जोगी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 488/2017 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 30.08.2019 को निर्णय पारित करते हुये श्री जोगी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री जोगी को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री जोगी को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान श्री जोगी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि भूतपूर्व सैनिको को पंचायती राज चुनाव में शस्त्र जमा कराने के आदेश नहीं होने के कारण श्री जोगी ने बन्दूक को जमा नहीं करवाया था। अब बन्दूक व लाइसेन्स दोनों जमा हैं। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। श्री जोगी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को गलत रूप से निरस्त किया गया है। अंत में श्री जोगी को जारी शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को मध्येनजर रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। मंदिर, कंपनीज, बैंक आदि की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड आदि तथा कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये व्यक्तियों को ही शस्त्र जमा करवाने से छूट दी गई थी। श्री जोगी उनमें नहीं आते थे। श्री जोगी द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली की अभिशंषा पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने रिपोर्ट क्रमांक ल–1/( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/10997 दिनांक 04.10.2019 द्वारा श्री जोगी को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंषा के साथ अपनी अनापत्ति प्रेषित की है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पंचायत आम चुनाव 2015 के समय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने मे जमा कराने के आदेश पारित किये जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। श्री जोगी द्वारा समय पर शस्त्र जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर दिनांक 13.03.2015 को श्री जोगी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। श्री जोगी द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया था। कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने के लिए हथियार रखने हेतु अधिकृत व्यक्तियों, बैंक, मंदिर, कंपनीज की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड आदि को शस्त्र जमा करवाने से छूट दी गई थी जिनमें श्री जोगी नहीं आते हैं। श्री जोगी द्वारा निर्धारित समय तक शस्त्र को थाने में जमा नहीं करवाने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। अतः हम श्री जोगी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री जोगी को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 4828/92 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11..2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: